(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 101/2023

बउनवान

सपनाबाई पत्नी जगदीश मीणा निवासी रारोन तहसील छबड़ा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 442 दर्ज दिनांक 08.06.2023 एवं खारिज दिनांक 24.07.2023 वाके ग्राम राहरोन तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 13.10.2023

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 442 दर्ज दिनांक 08.06.2023 वाके ग्राम राहरोन तहसील छबडा जो दिनांक 24.07.2023 को तहसीलदार, छबड़ा द्वारा खारिज किया गया है जिससे अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 08.09.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया, जो अप्राप्त है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की सत्य प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांटा द्वारा खातेदार रामनाथ पुत्र कल्ला जाति मीणा निवासी ग्राम मोतीपुरा से खातेदार का 1/24 हिस्सा दिनांक 21.02.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था तथा उपरोक्त दिनांक को ही कब्जा अपीलांटा को संभला दिया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटा का नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करने में कानूनी भूल की गई है। नामान्तरकरण प्रपत्र में पटवारी रिपोर्ट में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने माफी रिज्यूम से प्रभावित नहीं होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार से प्रभावित नहीं होने का हवाला देने के बावजूद भी अपीलांटा का नामान्तरकरण खारिज किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के [illegible] मध्यप्रदेश राज्य में हुआ है तथा वहां पर मीना जाति ओ.बी.सी. में आने के कारण [illegible] खारिज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये व उपरोक्त [illegible] की विक्रय विलेख के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वह सब राजस्थान राज्य के है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटा का नाम नामान्तरकरण तस्दीक न कर जाति प्रमाण पत्र में विरोधाभास होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 442 खारिज करने का आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:27:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा का निर्णय दिनांक 24.07.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक फरमावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांटा का जन्म स्थान मध्यप्रदेश राज्य में हुआ है जिसकी जाति श्रेणी मीना मध्यप्रदेश राज्य में ओ.बी.सी में आती है लेकिन राजस्थान राज्य में एस.टी. श्रेणी में आती है। इसी का फायदा उठाते हुए अपीलांटा द्वारा ससुराल पक्ष (राजस्थान) में हीं जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है, जो गलत है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जन्म स्थान मध्यप्रदेश राज्य का हीं बनना है। अतः उक्त अपील खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में अपीलांटा के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि बिना किसी सबूत, साक्ष्य के अपीलांटा का जन्म स्थान मध्यप्रदेश में होना मानते हुए इंतकाल नम्बर 442 स्वीकृत दिनांक 08.06.2023 वाके ग्राम राहरोन तहसील छबडा जो दिनांक 24.07.2023 तहसीलदार, छबडा द्वारा खारिज किया गया है। पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांटा का जन्म स्थान मध्यप्रदेश राज्य में हुआ है जिसकी जाति श्रेणी मीना मध्यप्रदेश राज्य में ओ.बी.सी में आती है लेकिन राजस्थान राज्य में एस.टी. श्रेणी में आती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटा आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटा सपना बाई पत्नी जगदीश मीणा निवासी राहरोन तहसील छबडा के जन्म स्थान एवं जाति से संबंधित विस्तृत जांच की जावें। तदनुसार निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:27:17 IST
Reason: SelfAttested